

फर्द अहकाम

गौरपा

बनाम

धनीनाशपठा

यालय S.D.O

या जयपुर, जयपुर

59/16

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.2.19	<p>पत्रावली काज, वादी-स्वयं न्यायालय में अर्पित होकर पत्रावली तलब करने व प्र.पत्र अर्ह के साथ विज्ञा प्र.पत्र पेश करने पर पेशा हुई। वादी द्वारा न्यायालय समक्ष कथन किया गया कि वह पत्रावली के मध्य आपस में राजीनामा होने के कारण लोक भवन के मध्य नज़र रखते हुए न्यायालय में विचार-धीन अर्ह उनका वाद काबू करेगी नहीं चलाना चाहता है। वादी की पहचान उभरे अर्हिकता द्वारा की गई है तथा पहचान-पत्र भी उभरे की उभृत की गई। न्यायालय समक्ष वादी द्वारा किये गये कथन व पत्रावली के अवलोकन बाद न्यायालय वादी को न्यायालय में विचारधीन अर्ह वाद को विज्ञा किये जाने की अनुमति प्रदान करता है। पत्रावली प्रवाल-शुभार मन्बर से कम हो। निर्णय सेर ईफलास सुनाया गया।</p>	<p>गौरपा I-364 Someel 11/02/19</p>

उप लखड अधिकारी
जयपुर

